न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–13, वैशाली, हाजीपुर।

A.B.P. No.-1165/2026

महुआ थाना कांड सं0–256 / 2024

	1. विक्की कुमार पिता अशोक कुमार सिंह, ग्राम–परसैनिया, थाना–महुआ, जिला–वैशाली ——— आवेदक **बनाम** **बिहार सरकार. ..... विपक्षी**	
21.05.2026	आवेदक अभियुक्त की ओर से महुआ थाना कांड सं0–256 / 2024 अन्तर्गत धारा–25(IX) शस्त्र अधिनियम एवं 66 सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम में गिरफ्तारी की आशंका से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति अपर लोक अभियोजक को प्रदान की गई है। उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी बिहार सरकार की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना गया। अभियोजन कहानी का सारांश सूचक अंकित कुमार वर्मा, परि0पु0अ0नि0, महुआ थाना के टंकित आवेदन के अनुसार यह है कि सूचक दिनांक–06.04.2024 को समय 9.30 बजे महुआ थाना में बैठा था तथा साथ में चौ0–4 / 5 देवानंद पासवान तथा 6 / 12 शिवचन्द्र दास बैठे थे कि उसी समय सोशल मिडिया पर दो फोटो वायरल हुआ जिसमें एक लड़का बड़े हथियार के साथ तथा दुसरा लड़का छोटे हथियार के साथ फोटो में दिख रहा था जिसके नाम पता का सत्यापन थाना में पदस्थपित महाल चौकीदार से कराया गया तो पता चला कि बड़े हथियार के साथ दिखने वाला व्यक्ति 1. कुन्दन कुमार उर्फ कुन्दन डॉन एवं 2. विक्की कुमार है। गुप्तचार व स्थानीय लोगों एवं महाल चौकीदार द्वारा बताया गया कि ये लोग अपराधी प्रवृति के व्यक्ति हैं तथा हथियार लेकर लोगों को डराते घमकाते हैं तथा लोगों में भय पैदा करते हैं। विक्की कुमार किसी के साथ वॉटसएप पर बात कर रहा है तथा एक अज्ञात व्यक्ति भी है। वायरल फोटो का विधिवत जप्ती सूची तैयार किया गया। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक इसके इसके पूर्व अन्य कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियोजन की सम्पूर्ण कहानी आधारहीन, गलत एवं झूठा है। आवेदक निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक के साथ हथियार का जो फोटो है वह स्पष्ट नहीं है कि वह खींचा हुआ है अथवा एडिट किया हुआ है। आवेदक ने कोई हथियार के साथ कोई फोटो वायरल नहीं किया है। आवेदक को इस वाद में ग्रामीण राजनीति के कारण झूठा फंसया गया है। सह अभियुक्त कुन्दन कुमार को बी0पी0 नं0–445 / 2026 को जमानत की सुविधा दी गई है। आवेदक समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति है तथा आवेदक को गिरफ्तारी की आशंका है। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा का लाभ दिया जाय।	क्रमशः

Web Copy not Official

न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–13, वैशाली, हाजीपुर।

A.B.P. No.-1165/2026

महुआ थाना कांड सं0–256 / 2024

लगातार 21.05.2026	विपक्षी बिहार सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया। उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख अवलोकन से यह विदित होता है कि आवेदक एवं अन्य के विरूद्ध धारा–25(IX) शस्त्र अधिनियम एवं 66 सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत केस दर्ज किया गया है। कांड दैनिकी के पैरा–5 में वाादी के पुनः बयान तथा कांड दैनिकी के पैरा–4, 5, 6, 7 एवं 8 में आये साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है। कांड दैनिकी के पैरा–15 में अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, महुआ का पर्यवेक्षण टिप्पणी है जिसमें आवेदक एवं सह अभियुक्त तथा एक अज्ञात के विरूद्ध मामले को सत्य प्रतीत होता पाया गया है। कांड दैनिकी के पैरा–47 में आवेदक अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है जो धारा–25(1–बी)ए,26,35 शस्त्र अधिनियम से संबंधित है जिससे यह प्रतीत होता है कि आवेदक आपराधी प्रवृति का है। पूर्व में सह अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जा चुका है। इस कांड में आवेदक के विरूद्ध अनुसंधान अभी जारी है अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा वाद की गंभीर प्रकृति को देखते हुए आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है। **लेखापित,** **जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–XIII,**	

Web Copy not Official